राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-II) विभाग

सं. एफ.1(3)डीओपी/ए-II/80 जयपुर, दिनांक: 07/03/2025

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियन्ता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियन्ता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये 01.04.2023 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.- राजस्थान अभियन्ता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 28 में विद्यमान परंतुक (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित नये परंतुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(xii) यह कि, अधीक्षण अभियंता की संयुक्त वरिष्ठता सूची में, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं है, सिविल/यांत्रिक/विद्युत पृष्ठभूमि से अधीक्षण अभियंता के पदों पर चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हों।

(xiii) यह कि, समान चयन वर्ष वाले अधीक्षण अभियन्ता की संयुक्त वरिष्ठता सूची में सिविल/यांत्रिक/विद्युत पृष्ठभूमि से अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर किसी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो अधिशासी अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हों।

(xiv) यह कि अधिशासी अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर समान चयन वर्ष वाले अधीक्षण अभियन्ता की संयुक्त वरिष्ठता सूची में सिविल/यांत्रिक/विद्युत पृष्ठभूमि से अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर किसी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये व्यक्ति भी, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो सहायक अभियंता

(सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हों।

(xv) अधिशासी अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) और सहायक अभियंता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर समान चयन वर्ष वाले अधीक्षण अभियंता की संयुक्त वरिष्ठता सूची में सिविल/यांत्रिक/विद्युत पृष्ठभूमि से अधीक्षण अभियंता के पदों पर चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति भी उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो उनसे आयु में कनिष्ठ हैं।"

3. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष वरिष्ठ पद के अधीन,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(सिविल)" हटायी जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपर मुख्य अभियन्ता" के पश्चात् विद्यमान अभिव्यक्ति "(सिविल)", जहां कहीं भी आयी हो, हटायी जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अधीक्षण अभियंता" के पश्चात् विद्यमान अभिव्यक्ति "(सिविल)", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "(सिविल/यांत्रिक/विद्युत)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(सिविल)" हटायी जायेगी;

(v) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(सिविल)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(सिविल/यांत्रिक/विद्युत)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सिविल/यांत्रिक/विद्युत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव।

12/2025